न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 03/2024
दायर दिनांकः 17.10.2024
निर्णय दिनांक 24.03.2025

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये, रणजीत सिंह, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द
—— **प्रार्थी**

बनाम

किशोर सिंह पुत्र श्री करम सिंह, निवासी NH 8 खेरा कला, इण्डेन गैस एजेन्सी, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
—— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. गैस को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री देवेन्द्र टांक अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.09.2024 को हमराह श्री सोहन सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक, देवगढ़ द्वारा घरेलू गैस के दुरूपयोग के क्रम में संचालित अभियान के दौरान एन0एच0 8 पर किशोर सिंह पुत्र श्री करम सिंह, निवासी NH 8 खेरा कला, इण्डेन गैस एजेन्सी, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द के पास 28 भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए, जिनके क्रम में किशोर सिंह से पूछताछ करने पर बताया गया कि उपभोक्ताओं से खाली सिलेण्डर प्राप्त कर विभिन्न गैस एजेन्सियों से भरे सिलेण्डर प्राप्त कर 20 रुपये प्रति सिलेण्डर के कमीशन पर एलपीजी गैस का कारोबार करता हूँ। जांच दल द्वारा गैस एजेन्सियों के नाम एवं वैध अनुज्ञापत्र के बारे में पूछने पर इधर—उधर की बाते कर गुमराह किया गया एवं कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 28 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर मय 389.00 किलोग्राम गैस जब्त की जाकर श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री जय सिंह मैनेजर मै0 कारगिल विजय भारत गैस, भीम जिला राजसमन्द को ठीक तरीके से सुपुर्द किये जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार करा पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मौके पर जब्त किए गए घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उनमें संग्रहित गैस का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	गैर सिलेण्डर पर अंकित संख्या	तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का प्रकार	भरे हुए सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद वजन (किलोग्राम में)
1	71070	IOCL	Dom.	31.0	17.2	13.8
2	41755030P	IOCL	Dom.	29.2	15.4	13.8
3	314125	IOCL	Dom.	29.9	15.7	14.2
4	214216-S	IOCL	Dom.	30.5	16.6	13.9
5	194269-T	IOCL	Dom.	29.7	15.7	14.0
6	359348-P	IOCL	Dom.	29.1	15.3	13.8
7	72861-S	IOCL	Dom.	30.0	16.3	13.7
8	439920-T	IOCL	Dom.	29.2	15.5	13.7
9	38625-E	IOCL	Dom.	29.9	16.1	13.8
10	928329-T	IOCL	Dom.	29.8	15.6	14.2
11	326763-T	IOCL	Dom.	29.9	16.1	13.8
12	6776-C	IOCL	Dom.	30.4	16.5	13.9
13	5460681-T	IOCL	Dom.	29.8	15.9	13.9
14	496790-P	IOCL	Dom.	29.9	15.9	14.0
15	540537-E	IOCL	Dom.	29.3	15.9	13.4
16	285553-E	IOCL	Dom.	29.7	15.8	13.9
17	756734-S	IOCL	Dom.	29.1	15.5	13.6
18	238542-S	IOCL	Dom.	29.5	15.7	13.8
19	55875-T	IOCL	Dom.	29.1	15.4	13.7
20	151978-P	IOCL	Dom.	30.2	15.9	14.3
21	4876-P	IOCL	Dom.	29.7	15.5	14.2
22	348632-B	IOCL	Dom.	29.6	15.5	14.1
23	326787-T	IOCL	Dom.	29.7	15.6	14.1
24	561835-M	IOCL	Dom.	29.0	15.4	13.6
25	869406-S	IOCL	Dom.	30.0	15.8	14.2
26	664235-P	IOCL	Dom.	29.4	15.7	13.7
27	343797-S	IOCL	Dom.	29.5	15.6	13.9
28	78965-P	IOCL	Dom.	29.6	15.6	14.0
		योग		831.7	442.7	389.00

किशोर सिंह पुत्र श्री करम सिंह, निवासी NH 8 खेरा कला, इण्डेन गैस एजेन्सी, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द द्वारा घरेलू गैस का अवैध भण्डारण करने पर कालाबाजारी किया जाना पाया गया, जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रब्यूशन) आर्डर, 2000 का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जब्त शुदा 28 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 389 किलोग्राम गैस को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र टॉक ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी इण्डेन गैस ऐजेन्सी भीम का अनुज्ञाधारी हैं। मैसर्स खेडा कला इण्डेन बडा खेडा एसएपी कोड 318618 हैं। विपक्षी दिनांक 24–09–2024 को 28 घरेलु गैस सिलेंडर गैस ऐजेन्सी भीम से उपभोक्ताओं को सप्लाई करने हेतु टॉडगढ जा रहा था। नेशनल हाईवे नं. 08 भीम पर मेरा वाहन जिसमें गैस सिलण्डर भरे हुए थे, जो खराब हो गया पास ही में भेरूनाथ बैट्री वर्क्स शॉप नेशनल हाईवे नं. 08 पर वाहन ठीक करवा रहा था कि जिला रसद अधिकारी राजसमन्द मौके पर आ गये और उन्होंने गलत रूप से मेरे 28 गैस सिलेण्डर जो जब्त सरकार कर दिया, जबकि मैं, मौके पर वाहन ठीक करवा रहा था ना कि किसी को गैस का कारोबार कर रहा था जबकि मैं वैद्य गैस एजेन्सी का 20 रूपये प्रति गैस सिलेण्डर के कमीशन पर एल.पी.जी. गैस का कारोबार करता हूँ जबकि जिला रसद अधिकारी राजसमन्द ने महज आशंका पर 28 गैस सिलेण्डर जब्त किए है जो अनुचित है विपक्षी ने कोई अवैद्य कारोबार किया है न ही मौके पर जिला रसद अधिकारी ने अवैद्य कारोबार करते हुए विपक्षी को पकड़ा है बल्कि विपक्षी मौके पर अपना गैस सिलेण्डर का वाहन ब्रेक डाउन होने से उसे भेरूनाथ बैट्री वर्क्स शॉप पर ठीक करवा रहा था इसमें विपक्षी की कोई गलती एवं नियमों की अवहेलना नहीं कि गई है। और मुझे ग्राहकों को उक्त गैस सिलेण्डर डिलीवर करना है और मुझे फोन आ रहे है और उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेण्डर सप्लाई नहीं करने पर उन्हे भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और मुझे आर्थिक नुकसान हो रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि जिला रसद अधिकारी राजसमन्द द्वारा मेरे 28 गैस सिलेण्डर जब्त किए है उसे मुझे दिलवाए जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। मैनें कोई अनियमितता कारित नहीं की है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी के पास से जब्त शुदा उक्त 28 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर उसके स्वयं के है, जिनका व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्त शुदा 28 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 389 किलोग्राम गैस को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी इण्डेन गैस ऐजेन्सी भीम का अनुज्ञाधारी हैं जिसका मैसर्स खेडा कला इण्डेन बडा खेडा एसएपी कोड 318618 हैं। विपक्षी दिनांक 24–09–2024 को 28 घरेलु गैस सिलेंडर गैस ऐजेन्सी भीम से उपभोक्ताओं को सप्लाई करने हेतु टॉडगढ जा रहा था। नेशनल हाईवे नं. 08 भीम पर मेरा वाहन जिसमें गैस सिलण्डर भरे हुए थे, जो खराब हो गया पास ही में भेरूनाथ बैट्री वर्क्स शॉप नेशनल हाईवे नं. 08 पर वाहन ठीक करवा रहा था। कि उसी समय जिला रसद अधिकारी राजसमन्द मौके पर आ गये और उन्होंने गलत रूप से मेरे 28 गैस सिलेण्डर जो जब्त सरकार कर दिया, जबकि मैं, मौके पर वाहन ठीक करवा रहा था ना कि किसी को गैस का कारोबार कर रहा था। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि जिला रसद अधिकारी राजसमन्द द्वारा जो 28 गैस सिलेण्डर जब्त किए है उसे विपक्षी को दिलवाए जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रसद विभाग द्वारा मूर्तिब फर्द मौका व जब्ती अनुसार दिनांक 24.09.2024 को श्री सोहन सिंह चौहान प्रवर्तन निरीक्षक व श्री रणजीत सिंह जिला रसद अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से IOCL कम्पनी के अवैध रूप से भण्डारित 28 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 389 किलोग्राम गैस जब्त की गई एवं मौके पर वक्त जांच उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के बारे में अप्रार्थी से जांच दल द्वारा वैध लाईसेंस व दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु न तो उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया और न ही इन घरेलु गैस सिलेण्डर का कोई वैध अनुज्ञापत्र आदि उपलब्ध कराया गया। अप्रार्थी की ओर से बहस में भी अपने पक्ष के समर्थन में ऐसे कोई अकाट्य तर्क व प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से संग्रहित किया जाना पाया जाता हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा 28 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 389 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाना उचित हैं।

:आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 28 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 389 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 28 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 389 किलोग्राम गैस का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

24/3/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद